विदेशी मुद्रा गतिविधियां

मई 2007

निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत प्रेषण योजना - सीमा को 50,000 अमरीकी डालर से बढ़ाकर 100,000 अमरीकी डॉलर करना

उदारीकृत प्रेषण योजना के अंतर्गत निवासी व्यक्तियों के लिए 50,000 अमरीकी डॉलर प्रति वित्तीय वर्ष की वर्तमान प्रेषण सीमा को बढ़ाकर किसी भी अनुमत चालू अथवा पूंजीगत खाता लेन-देनों अथवा दोनों के संयुक्त रूप के लिए 100,000 अमरीकी डॉलर प्रति वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) कर दिया गया है [वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य का पैरा 137]। अन्य सभी लेन-देन जो अन्यथा फेमा के तहत अनुमत नहीं है और जो समुद्रपारीय एक्सचेंजों / समुद्रपारीय काउंटरपार्टी को मार्जिन अथवा मार्जिन कॉल्स के लिए प्रेषण के स्वरूप के हैं, योजना के तहत अनुमत नहीं हैं। योजना के तहत निवासी व्यक्तियों को प्रेषण हेतु मदद के लिए बैंक किसी प्रकार की ऋण सुविधाएं प्रदान नहीं कर सकती।

[ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.51
दिनांक 8 मई 2007]

पिछले कार्यनिष्पादन के आधार पर वायदा संविदाओं की बुकिंग

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक कतिपय शर्तों के अधीन आयातकों और निर्यातकों को जोखिम की घोषणा के आधार पर और पिछले कार्यनिष्पादन पर आधारित पिछले तीन वित्तीय वर्षों (अप्रैल से मार्च) के वास्तविक आयात / निर्यात पण्यावर्त अथवा पिछले वर्ष के वास्तविक आयात / निर्यात पण्यावर्त, जो भी अधिक हो, के औसत तक वायदा संविदा बुक करने की अनुमति दे सकते हैं। इसके अलावा, पात्र सीमा के 50 प्रतिशत के अतिरिक्त बुक किए गए वायदा संविदा सुपुर्दगीयोग्य आधार पर होंगे और रद्द नहीं किए जा सकेंगे। वर्ष के दौरान बुक किए गए और किसी भी समय बकाया सकल वायदा संविदा पात्र सीमा से अधिक नहीं होने चाहिए। पात्र सीमाओं की गणना आयात/निर्यात लेनदेनों के लिए अलग-अलग की जानी है।

वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार निर्यातकों और आयातकों के विदेशी मुद्रा जोखिमों की सक्रिय हेजिंग को सरल बनाने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि पात्र सीमा को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करके उपर्युक्त सुविधा को और उदार बनाया जाए। तदनुसार, आयातकों / निर्यातकों द्वारा किसी जोखिम की घोषणा के आधार पर और पात्र सीमा के 75 प्रतिशत के अतिरिक्त पिछले कार्य निष्पादन के आधार पर बुक की गई वायदा संविदाएं सुपुर्दगी योग्य आधार पर होंगी और रद्द नहीं की जा सकेंगी।

[ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.52 दिनांक 8 मई 2007]

म्युचुअल फंडों द्वारा समुद्रपारीय निवेश - उदारीकरण

समुद्रपारीय निवेशों के लिए और अधिक अवसर प्रदान करने हेतु सेबी के पास पंजीकृत म्युचुअल फंडों द्वारा समुद्रपारीय निवेशों की सकल सीमा को तत्काल प्रभाव से 3 बिलियन अमरीकी डालर से 4 बिलियन डालर कर दिया गया है [वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य का पैरा 135]। निवेश सेबी द्वारा जारी शर्तों और परिचालनात्मक मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन होंगे।

[ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.53 दिनांक 8 मई 2007]

विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000- विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) जमाओं के परिपक्वता प्राप्तियों का प्रत्यावर्तन

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों और प्राधिकृत बैंकों को अब विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) जमाराशियों की परिपक्वता प्राप्तियों के भारत से बाहर तीसरी पार्टी को प्रेषण की अनुमति दी गई है बशर्ते लेनदेन को, खाताधारक द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किया जाता है तथा प्राधिकृत व्यापारी लेनदेन की वास्तविकता से संतुष्ट है [वर्ष 2007-08 का वार्षिक नीति वक्तव्य]।

[ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.57 दिनांक 18 मई 2007]

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा की वसूली, प्रत्यावर्तन और सुपुर्दगी) विनियमावली, 2000

वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार निवासी व्यक्तियों द्वारा प्राप्त / वसूली गई / खर्च न की गई / उपयोग में न लाई गई विदेशी मुद्रा की सुपुर्दगी के लिए, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति / वसूली/ खरीद/ अधिग्रहण / यात्री के लौटने की तारीख, जैसा भी मामला हो, 180 दिनों की एकसमान अवधि निर्धारित की गई है। अन्य सभी मामलों में सुपुर्दगी अपेक्षाओं के संबंध में विनिमय / निदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

[ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.58 दिनांक 18 मई 2007]

विदेश में तेल क्षेत्र में अनिगमित कंपनियों में नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निवेश

वर्तमान विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी भारतीय पार्टी द्वारा किसी समुद्रपारीय अनिगमित कंपनी में तेल क्षेत्र में अर्थात तेल और प्राकृतिक गैस आदि की खोज और ड्रिलिंग के लिए निवेश हेतु रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है। नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी गई हैसियत) के ऐसे प्रस्तावों को उसमें शामिल पूंजी के आधार पर सक्षम प्राधिकारी अर्थात (1) संबद्ध सार्वजनिक

क्षेत्र उपक्रम के निदेशक मंडल, (2) सचिवों की शक्ति प्रदत्त समिति, और (3) आर्थिक कार्य विभाग की कैबिनेट समिति, द्वारा मंजूरी दी जाती है।

वर्तमान नियंत्रणों को देखते हुए प्रक्रियाओं को और उदार और सरल बनाने और स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को विदेशी तेल क्षेत्र में अनिगमित कंपनियों में निवेश करने की अनुमति देने का निर्णय किया गया है। तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक यह सुनिश्चित करने के बाद कि ऊपर लिए गए उल्लेख के अनुसार प्रस्ताव को उचित सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन है, और ऐसे निवेश को अनुमोदित करने वाला बोर्ड संकल्प की प्रमाणित प्रति से विधिवत समर्थित है, नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को तेल क्षेत्र में निवेश हेतु विप्रेषण की अनुमति दी गई है।

[ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.59 दिनांक 18 मई 2007]

बाह्य वाणिज्यिक उधार - अंतिम उपयोग और समग्र लागत सीमा - संशोधित

चालू समष्टि आर्थिक परिस्थिति और बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति को लागू करने में रिज़र्व बैंक द्वारा अब तक प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखकर बाह्य वाणिज्यिक उधार के मार्गदर्शी सिद्धांतों की समीक्षा की गई। बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति को निम्नानुसार आशोधित किया गया है।

(क) अंतिम उपयोग - वर्तमान बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति के अनुसार बाह्य वाणिज्यिक उधार प्राप्तियों के भूमि भवन में उपयोग की अनुमति नहीं है। 'भूमि भवन' शब्द में 4 जनवरी 2002 की प्रेस नोट सं.3 (2002 सिरीज़) द्वारा यथापरिभाषित 'एकीकृत नगर क्षेत्र के विकास' शामिल नहीं है। अब यह निर्णय लिया गया है कि बाह्य वाणिज्यिक उधार के अनुमत अंतिम उपयोग के रूप में 'एकीकृत नगर क्षेत्र के विकास' को दी गई छूट को हटा लिया जाए । तदनुसार, बगैर किसी छूट के बाह्य वाणिज्यिक उधार प्राप्तियों के भूमि भवन में उपयोग की अनुमति नहीं दी गई है।

(ख) समग्र लागत सीमा - भारत के सॉवरिन क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाकर निवेश ग्रेड में किए जाने से बाह्य वाणिज्यिक उधार की समग्र लागत सीमा को निम्नानुसार आशोधित किया गया है :

औसत परिपक्वता अवधि	**6 महीने के एलआइबीओआर पर समग्र लागत सीमा***	
	वर्तमान	आशोधित
तीन वर्ष और पांच वर्ष तक	200 आधार बिंदु	150 आधार बिंदु
5 वर्ष से अधिक	350 आधार बिंदु	250 आधार बिंदु

* उधारी अथवा लागू बेंचमार्क के संबद्ध मुद्रा के लिए।

उपर्युक्त परिवर्तन स्वतः अनुमोदित मार्ग और अनुमोदन मार्ग दोनों के तहत बाह्य वाणिज्यिक उधार पर लागू होंगे।

[ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.60 दिनांक 21 मई 2007]

भारत में तेल की खोज के लिए कैश कॉल्स के संबंध में भुगतान

वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए ऑपरेटरों को कैश कॉल्स के भुगतान कें संबंध में रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है। वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, प्रक्रिया को उदार बनाने के

लिए अब प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को, कतिपय शर्तों के अधीन भारत में तेल की खोज के प्रयोजन के लिए ऑपरेटर को कैश कॉल्स के लिए, जहां कहीं लागू हों, रिज़र्व बैंक द्वारा यथा अनुमोदित, भारत में विदेशी मुद्रा अथवा रुपया खाता में जमा द्वारा या विदेशी मुद्रा प्रेषण द्वारा भुगतान की अनुमति दी गई है।

[ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.61
दिनांक 24 मई 2007]

खुले प्रस्ताव/असूचीकरण/प्रस्ताव छोड़ने के लिए अनिवासी कार्पोरेट द्वारा एस्क्रो / विशेष खाते खोलना

वर्तमान विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के विनियमों के अनुसार, सेबी [सब्स्टैन्शियल एक्विसिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर्स (एसएएसटी)] विनियमावली, 1997 के प्रावधानों अथवा किसी अन्य लागू सेबी विनियमों के अनुसार खुले प्रस्ताव/असूचीकरण/प्रस्ताव छोड़ने के माध्यम से किसी भारतीय कंपनी के शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों के अंतरण के लिए एस्क्रो खाता अथवा विशेष खाता खोलने हेतु रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता है।

वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार अनिवासी अधिग्रहणकर्ताओं को परिचालनात्मक लोचकता प्रदान करने की दृष्टि से अब प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक ऐसे मामलों में सेबी (एसएएसटी) विनियमों अथवा अन्य लागू सेबी विनियमों/कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों और अन्य नियम व शर्तों के अधीन एस्क्रो खाते और विशेष खाते खोल सकते हैं।

[ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.62
दिनांक 24 मई 2007]

(x) अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर के लिए भारत की आउटसोर्सिंग (बीपीओ) कंपनियों द्वारा उपकरणों का आयात

वर्तमान विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों, जिनके माध्यम से आयात के लिए प्रेषण किया गया है, के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि आयातक घरेलू खपत के लिए आयातक के सबूत के रूप में बिल ऑफ एन्ट्री की विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रति प्रस्तुत करता है। तथापि, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) कंपनियों के मामले में उनके अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर्स में उपकरणों की स्थापना के संबंध में समुद्रपारीय स्थलों में उपकरणों की आयात और स्थापना के लिए प्रेषण हेतु रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है, चूंकि ऐसे मामले में, भारत में भौतिक रूप से आयात किए बिना समुद्रपारीय स्थलों में उपकरणों को स्थापित किया जाता है।

वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार विदेशी मुद्रा विनियमों को तर्कसंगत और सरल बनाने के प्रयोजन से एवं ऐसे लेनदेनों को और लोचकता प्रदान करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति की आवश्यकता को हटा दिया गया है और अब से आगे प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक कतिपय शर्तों के अधीन भारत में बीपीओ कंपनियों को उनके समुद्रपारीय स्थलों में आयात और स्थापित किए जानेवाले उपकरणों की लागत के लिए प्रेषण करने की अनुमति दे सकते हैं।

[ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.63
दिनांक 25 मई 2007]

विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 - पॉवर ऑफ एटर्नी धारक द्वारा अनिवासी (साधारण) खाते का परिचालन

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के उपबंधों के अनुसार भारत से बाहर निवास करनेवाला व्यक्ति, प्राधिकृत व्यापारी

श्रेणी I बैंक/ प्राधिकृत बैंक के साथ अनिवासी सामान्य खाता निवासियों के साथ संयुक्त रूप से खोल सकता है। तथापि, रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए संबंधित विनियमों के अनुपालन के अधीन पात्र निवेशों के लिए भुगतान सहित रुपए में सभी स्थानीय भुगतान, और अनिवासी व्यक्ति खाताधारक के भारत में चालू आय का भारत से बाहर प्रेषण, लागू दरों के निवल तक ही ऐसे परिचालनों को सीमित रखा गया है। साथ ही, निवासी पॉवर ऑफ एटर्नी धारक को, खाते में धारित निधियां अनिवासी खाताधारक से इतर किसी को भारत से बाहर प्रत्यावर्तित करने, या अनिवासी खाताधारक की ओर से किसी निवासी को उपहार के तौर पर भुगतान करने अथवा उस खाते से अन्य किसी अनिवासी सामान्य रुपया खाते के निधियों का अंतरण करने की अनुमति नहीं है।

[ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.64
दिनांक 25मई 2007]

कंपनियों के समापन पर प्रेषण

वर्तमान विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, भारतीय कंपनियों के परिसंपत्तियों में से प्रेषण को रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है। वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार प्रक्रिया को सरल बनाने के एक उपाय के रूप में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को यह अधिकार दिए गए हैं कि वे कोर्ट द्वारा कंपनी के समापन अथवा कार्यालयीन परिसमापक अथवा स्वेच्छापूर्वक समापन के मामले में परिसमापक द्वारा जारी किसी आदेश के अधीन और साथ ही कर अनुपालन के अधीन कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत परिसमापनाधीन भारतीय कंपनियों के परिसंपत्तियों में से प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं।

[ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.65
दिनांक 31मई 2007]

जोखिम प्रबंधन और अंतर बैंक लेनदेन - पण्य हेजिंग

वर्तमान में, भारत में निवासी व्यक्तियों को रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से कतिपय शर्तों के अधीन पण्य में मूल्य जोखिम की हेजिंग के लिए भारत से बाहर पण्य मंडियों अथवा बाज़ारों में संविदा की अनुमति दी जाती है। साथ ही, चुनिंदा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कंपनियों को, अंतरराष्ट्रीय पण्य मंडियों/ बाज़ारों में किसी पण्य (सोना, चांदी, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद को छोड़कर) के संबंध में मूल्य जोखिम के हेजिंग की अनुमति दे सकते हैं। फिर भी अंतरराष्ट्रीय मंडियों/बाज़ारों में देशी बिक्री / खरीद लेनदेनों के संबंध में मूल्य जोखिम के हेजिंग की अनुमति नहीं है, बावजूद इसके कि देशी मूल्य, पण्य के अंतरराष्ट्रीय मूल्य से संबद्ध है।

देशी उत्पादक और कतिपय धातु उपयोगकर्ता लंदन मेटल एक्सचेंज जैसे अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों में अधिक डेप्थ और लिक्विडिटी का फायदा उठा सके तथा देशी खरीद और बिक्री में मूल्य हेजिंग कर सकें, अतएव, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक जिसे रिज़र्व बैंक ने इस संबंध में विशेष रूप से प्राधिकृत किया है, को अब से आगे उत्पादकों/उपयोगकर्ताओं को उनके निहित जोखिम के आधार पर अंतरराष्ट्रीय पण्य मंडियों में एल्युमिनियम, तांबा, शीशा, निकल और जिंक के संबंध में उनके मूल्य जोखिम की अनुमति दी गई है। हेजिंग की अनुमति उपर्युक्त पण्यों के पिछले 3 वित्तीय वर्ष (अप्रैल से मार्च) की वास्तविक खरीद/बिक्री अथवा पिछले वर्ष के वास्तविक खरीद/बिक्री पण्यावर्त, जो भी अधिक हो, के औसत तक दी जाएगी। इसके साथ ही, केवल मानक एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स और ऑप्शन्स (केवल खरीद) की अनुमति दी जाएगी।

इसके अलावा, इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किए गए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक

अब एविये शन टर्बाइन फ्यूएल के वास्तविक उपयोगकर्ताओं को, उनके घरेलू खरीद के आधार पर अंतरराष्ट्रीय पण्य मंडियों में उनके आर्थिक जोखिम की हेजिंग की अनुमति दे सकते हैं। यदि जोखिम प्रोफाइल औचित्य प्रमाणित करता है तो एवियेशन टर्बाइन फ्यूएल के वास्तविक उपयोगकर्ता भी ओटीसी संविदा का उपयोग कर सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक यह सुनिश्चित करें कि एवियेशन टर्बाइन फ्यूएल की हेजिंग के लिए अनुमति केवल फर्म ऑर्डर पर ही दी जाती है तथा आवश्यक दस्तावेजी सबूत उनके पास रोक रखे जाते हैं। ऐसी कंपनियों द्वारा, जो प्रणालीगत अंतरराष्ट्रीय मूल्य जोखिम के प्रभाव में नहीं है, रिज़र्व बैंक से संपर्क करना अपेक्षित है।

[ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.66
दिनांक 31 मई 2007]